न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 99 / 2017

सत्यनारायण पुत्र श्री रमेश चन्द्र जाति बैरवा निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां .....वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0) ....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0 1955

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादी : श्री चन्द्र प्रकाश पारेता
दायरा दिनांकः 14.12.2017

निर्णय दिनांक : 07.06.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी की शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 868 खसरा नं0 872 रकबा 1.31 है0 वाके ग्राम सीसवाली में स्थित है जमाबंदी सम्वत 2069–72 जिसमें वादी का हिस्सा मुताबिक खाता निहित है किन्तु जमाबंदी में सहवन से वादी का नाम सत्यनारायण पुत्र रमेशचंद के स्थान पर दानमल पुत्र रमेश दर्ज कर दिया है जबकि वादी का वास्तविक नाम सत्यनारायण ही है मुताबिक वादी वादपत्र एवं छाया प्रति आईडी वादी, आधार कार्ड वादी, राशनकार्ड, व प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सीसवाली व छायाप्रति पाठशाला स्थानांतरण पत्र में वादी का नाम सत्यनारायण पुत्र रमेशचंद दर्ज हो रहा है।

वाद पत्र की पुष्टि पटवारी हल्का एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) द्वारा की गई है इस प्रकार वाद पत्र संलग्न दस्तावेजात रिपोर्ट पटवारी, अनुशंषा लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांगरोल जो प्रतिवादी है यह भली प्रकार सिद्ध है कि वाद पत्र के अनुसार वादी का सही नाम सत्यनारायण पुत्र रमेशचंद होना चाहिए।

अतः ग्राम सीसवाली की आराजी खाता संख्या 868 खसरा नं0 872 रकबा 1.31 है0 वाके ग्राम सीसवाली में वादी का नाम दानमल हजफ कर सत्यनारायण पुत्र रमेशचंद्र जाति बैरवा निवासी सीसवाली इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मांगरोल तदनुसार पालना करें।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प सीसवाली